# कार्यालय आयुक्त,
# गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
दूरभाषः 0522-2204295, 2205310, फैक्सः 0522-2204163
टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203
**Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com**
**Facebook: https:/www.facebook.com/upcane/?re=page_internal**
**Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite**
**Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCEwkr8BAGSaAwmeXo9fJong**

## प्रेस नोट

- **गन्ना विभाग में कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने पर कई कर्मी दंडित, विभागीय नियमों की अवहेलना पर गन्ना आयुक्त का सख्त रवैया।**
- **विभागीय अनियमितता बरतने पर जिला गन्ना अधिकारी, बागपत के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित।**
- **कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के विपरीत आचरण करने पर 3 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 2 गन्ना पर्यवेक्षक, एवं 1 वरिष्ठ सहायक के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई प्रतिस्थापित।**

**लखनऊ : 16 जुलाई, 2018**

गन्ना विभाग में कर्मचारियों के सुचितापूर्ण तरीके से कार्य करने की अपेक्षा और अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शी ढ़ंग से किये जाने का एक मूल्यांकन अभियान मुख्यालय स्तर पर चलाया जा रहा है। इस क्रम में श्री सुशील कुमार, जिला गन्ना अधिकारी, बागपत के विरूद्व विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। श्री सुशील कुमार के विरूद्व बागपत जिले की गन्ना सर्किल–बसी के गन्ना सर्वेक्षण वर्ष–2016–17 वास्ते पेराई सत्र 2017–18 में गन्ना पौधा क्षेत्रफल के सापेक्ष वर्तमान सत्र में पेड़ी का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण/बढ़ाकर अंकित करने, सामान्य पौधा क्षेत्रफल अलग–अलग स्तर पर भिन्न–भिन्न



Scanned by CamScanner

अंकित करने आदि की अनियमितता के संज्ञान में आने पर गन्ना आयुक्त,उ.प्र. लखनऊ के स्तर से अपर गन्ना आयुक्त (शोध एवं समन्वय), मुख्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया। अनुशासनिक प्रकरण में जॉच हेतु श्री राकेश कुमार मिश्र, अपर चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया है।

इसी प्रकार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मंसूरपुर, बेलवाड़ा एवं दौराला क्रमशः श्री उपेन्द्र सिंह, श्री अशोक बाबू एवं श्री दिलीप सिंह को त्रुटिपूर्ण टी.डी.एस. कटौती की वापसी में अपेक्षित वसूली न कराने पर इनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गई है।

इसके अतिरिक्त श्री अजय कुमार सक्सेना, गन्ना पर्यवेक्षक, जनपद–रामपुर व श्री वेदपाल सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक, जनपद–मेरठ द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने व बिना अवकाश स्वीकृति के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के विपरीत आचरण करने आदि आरोपों के आधार पर इनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई प्रतिस्थापित की गई है।

श्री बृजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर (तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी, महराजगंज) द्वारा अन्तिम पेंशन का भुगतान न करने, उच्चाधिकारी के निर्देशों के बावजूद कार्मिकों के लम्बित पावनाओं का विवरण उपलब्ध न कराने और  स्थानान्तण के पश्चात् संबंधित पटल का पूर्ण प्रभार सम्बन्धित कार्मिक को हस्तगत न कराने के कारण श्री कुमार के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि राजकीय कर्मचारियों से सुचितापूर्ण ढ़ंग से अपने कार्य का निर्वहन किया जाना सहज ही अपेक्षित है और कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल कार्य करना कतई क्षम्य नही होगा। आयुक्त ने परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अधिनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का आवर्ती मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें।

---



Scanned by CamScanner